न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–01, गोण्डा।

उपस्थित–नम्रता अग्रवाल, एच0जे0एस0 J.O. Code- U.P.2661

सत्र परीक्षण संख्या–265 सन् 2019
CNR No-UPGD01005621-2019

उत्तर प्रदेश सरकार––––––––––––––––––––––––––––––––**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1– उमेश दूबे उर्फ उमेश चन्द्र दूबे उम्र करीब 62 वर्ष पुत्र प्रताप नरायन,
2– अन्नू दूबे उर्फ कौशलेन्द्र दूबे उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र उमेश दूबे,
3– संदीप दूबे उर्फ संदीप कुमार उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र उमेश दूबे,
4– रोहित दूबे उर्फ रोहित कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र उमेश दूबे,
निवासीगण–ग्राम पाण्डेयपुरवा पारा सराय, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

–––––––––**अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0–360 / 2017,
धारा–306 भा0द0स0
थाना–इटियाथोक, जिला गोण्डा।

निर्णय

1– अभियुक्तगण **उमेश दूबे उर्फ उमेश चन्द्र दूबे, अन्नू दूबे उर्फ कौशलेन्द्र दूबे, संदीप दूबे उर्फ संदीप कुमार व रोहित दूबे उर्फ रोहित कुमार** के विरूद्ध थाना–इटियाथोक, जनपद–गोण्डा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–360 / 2017 के मामले में अन्तर्गत धारा–306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया जो सत्र सुपुर्द होने के उपरांत अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी मुकदमा संतोष कुमार सोनी पुत्र दीनानाथ सोनी निवासी पाण्डेयपुरवा पारासराय जिला गोण्डा का निवासी है। प्रार्थी का भाई विजय कुमार सोनी पुत्र स्व० दीना नाथ सोनी के ऊपर उमेश दूबे पुत्र प्रताप नारायण दूबे ग्राम पाण्डेय पुरवा पारा सराय ने 22.08.2017 को फर्जी हरिजन एक्ट का मुकदमा कायम करवा दिया था जिससे विजय सोनी मानसिक रूप से परेशान रहता था, 4 महीने के पहिले उमेश दूबे, अन्नू दूबे, संदीप, रोहित पुत्रगण उमेश ने मारा पीटा था तथा जान से मारने की धमकी दिया था। विजय सोनी ने थाने पर तहरीर भी दिया था जिसमें पुलिस ने कोई कार्यवाही नही किया। दिनांक 16.09. 2017 को विजय सोनी गोण्डा कचहरी कुछ काम से गया आया, कचेहरी में उमेश, संदीप, रोहित ने मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। आज सुबह 6 बजे उमेश, अन्नू, संदीप, और रोहित ने कट्टा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी कहा की मेरे खिलाफ गवाही दिया है, मुझे 1 लाख रूपये दो तथा गवाही में बयान हल्फी लगा दो, नहीं तो रूपया नही दोंगे तो तुम्हे और तुम्हारे परिवार को जान से मार डालेंगे। इसी तनाव एवं डर की वजह से 8.30 मिनट पे फॉसी लगा कर आत्महत्या कर लिया। विजय सोनी ने हत्या का सोसाइट नोट लिखकर कमरे मे छोड़ दिया जिसे बाद में परिवार वालो को मिला। यह सोसाइट नोट कोतवाल महोदय को सुपुर्द कर दिया गया है जॉच करके प्राताडित करने वाले के खिलाफ मुकदमा लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। विपक्षी भू–माफिया एवं दबंग किस्म के लोग है यह धमकी सुरेन्द्र नाथ तिवारी के समक्ष दिया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जॉच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त लिखित फर्द / तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना–इटियाथोक, जिला–गोण्डा में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–9 दिनांक 18.09.2017 को समय 11.30 बजे मुकदमा अपराध संख्या–360 / 2017 अन्तर्गत धारा–306, 506 भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्तगण उमेश दूबे, अन्नू दूबे, संदीप दूबे, रोहित दूबे के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसका तस्करा नकल रपट कायमी जी0 डी0 संख्या–21 दिनांक 18.09.2017 को समय 11:30

Digitally signed by NAMRATA AGRAWAL
Date: 2026.03.30 12:22:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बजे प्रदर्श क–10 के रूप में किया गया। मुकदमे की दौरान विवेचना नकल चिक, नकल रपट व गवाहान के बयानात लिखे गये, घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। मृतक के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अभियुक्तगण उमेश दूबे उर्फ उमेश चन्द्र दूबे, अन्नू दूबे उर्फ कौशलेन्द्र दूबे, संदीप दूबे उर्फ संदीप कुमार व रोहित दूबे उर्फ रोहित कुमार उपाध्याय के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रदर्श क–13 समक्ष न्यायालय प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्तगण को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा तलब किया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में कार्यवाही के उपरान्त वाद विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0–1, गोण्डा द्वारा उपार्पण आदेश दिनांकित 11.10.2019 से सत्र सुपुर्द किया गया।

5– अभियुक्तगण उमेश दूबे उर्फ उमेश चन्द्र दूबे, अन्नू दूबे उर्फ कौशलेन्द्र दूबे, संदीप दूबे उर्फ संदीप कुमार व रोहित दूबे उर्फ रोहित कुमार उपाध्याय को सत्र न्यायालय द्वारा आहूत कर दिनांक 04.12.2019 को आरोप अन्तर्गत धारा–306/34 भा0दं0सं0 का विरचित किया गया को आरोप पढ़ कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मॉग की। फलस्वरूप विचारण प्रारम्भ किया गया।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये–

कम सं0	**अभियोजन साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**	**साक्षी**
1	पी0डब्लू0 1	संतोष सोनी	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0 2	लक्ष्मी देवी	तथ्य के साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	शिव कुमारी	तथ्य के साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	डा0 जय प्रकाश शुक्ला	पोस्टमार्टमकर्ता
5	पी0डब्लू0 5	एस0आई0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह	पंचायतकर्ता
6	पी0डब्लू0 6	कॉ0 दिलीप कुमार सिंह	एफ0आई0आर0 लेखक
7	पी0डब्लू0 7	निरीक्षक रमाशंकर यादव	विवेचक
8	पी0डब्लू0 8	निरीक्षक रामकृपाल शुक्ल	विवेचक

7– अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत कर साबित कराये गये–

कम सं.	**दस्तावेजी साक्ष्य**	**प्रदर्श कमांक**	**साबित करने वाले साक्षी**
1–	मूल तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1 संतोष सोनी
2–	पंचायतनामा	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1 संतोष सोनी
3–	सुसाइड नोट	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–2 श्रीमती लक्ष्मी सोनी
4–	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–4 डा0 जय प्रकाश शुक्ला
5–	चालान लाश	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–6 डा0 सुमति कुमार
6–	फोटो नाश	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–5 एस0आई0सुरेन्द्र बहादुर सिंह
7–	चिट्ठी सी0एम0ओ0	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–5 एस0आई0सुरेन्द्र बहादुर सिंह
8–	चिट्ठी आर0आई0	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–5 एस0आई0सुरेन्द्र बहादुर सिंह
9–	एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–6 कॉ0 दिलीप कुमार सिंह
10–	कायमी जी0डी0	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0–6 कॉ0 दिलीप कुमार सिंह
11–	फौती सूचना जी0डी0	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0–6 कॉ0 दिलीप कुमार सिंह
12–	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0–7 रमाशंकर यादव निरीक्षक
13–	आरोप पत्र	प्रदर्श क–13	पी0डब्लू0–8 निरीक्षक राम कृपाल शुक्ल

अभियोजन द्वारा उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित कराया गया।

8– अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन की ओर से कुल 8 साक्षी परीक्षित कराये गये है जिनका साक्ष्य निम्नलिखित है–

9– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 संतोष सोनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–घटना दिनांक 16.09.2017 की सुबह 8.30 बजे की है। घटना में मृतक विजय सोनी मेरा भाई था। उमेश दूबे से इस घटना से पूर्व जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अन्नू, दीपू, और संदीप जो उमेश के लड़के हैं उनसे भी जमीनी विवाद चल रहा है। घटना से कुछ दिन पूर्व उमेश ने मेरे भाई के खिलाफ एस0सी0/एस0टी0 का मुकदमा लिखाया था इस घटना के 4 महीने पहले उमेश चन्द्र दूबे, अन्नू, संदीप व रोहित, विजय सोनी से वाद विवाद किया था जिसकी शिकायत विजय सोनी ने थाने पर की थी पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की थी। मेरा व मृतक विजय का घर अलग–अलग है। घटना वाले दिन मेरे घर श्राद्ध था मैं विजय को निमत्रंण देने उनके घर गया था और विजय सोनी के घर के बाहर बैठा था विजय सोनी की पत्नी विजय को चाय देने गयी थी, तो देखा कि विजय छत से कुण्डे से लटके हुए हैं। मैने भी देखा मैने घर के दरवाजे से उसी समय उमेश दूबे, रोहित, अन्नू और संदीप को बाहर निकलते देखा। इस घटना की तहरीर मैने थाने पर दी थी, उसी में फौती सूचना थाने पर दर्ज हुई थी। पहली तहरीर जो मैने दी थी वह मृतक की मृत्यु से सम्बंधित फौती तहरीर थी। उसी दिन मैने पत्रावली में शामिल तहरीर कागज सं0 4/3 टाइप कराकर उस पर अपना हस्ताक्षर करके जिस पर उमेश दूबे आदि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तहरीर को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। मृतक विजय कुमार सोनी के शव का पंचायतनामा दरोगा जी ने मेरे सामने किया था तथा शव को सर्वसील मोहर करके शवविच्छेदन के लिए भेज दिया था। पत्रावली में शामिल पंचायतनामा कागज सं0 5/14, 5/15, पर मैने अपने हस्ताक्षर बनाए थे जिसको मैं तस्दीक करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

10– प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि मैं पांच भाई हूॅ बाकी के चार के नाम है जगदम्बा, विजय कुमार, लल्ला, संजय, विजय कुमार ने आत्महत्या करी थी इसकी सूचना मैने अपने हाथ से लिखकर उसी दिन थाने पर दिया था। इस सूचना में मैने किसी का नाम नही लिखाया था क्योंकि मुझे किसी पर शक नही था और न ही मुल्जिमान का कोई दोष था। मेरे भाई ने मुकदमें के कारण आत्महत्या की थी जो फौती सूचना थाने पर दिया था वह मेरे सामने पत्रावली में नही है। हम सभी भाई बांटकर अलग–अलग घर में रहते हैं। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मेरे यहॉ श्राद्ध था। इसकी देखभाल करने के लिए मेरी मॉ विजय मृतक के घर आ गई थी इस श्राद्ध का निमत्रंण देने मैं अपने भाईयों के घर गया था। इसी सिलसिले में मैं अपने भाई मृतक विजय सोनी के घर भी गया था जो मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर है। फौती सूचना देने के आने के बाद मेरी गॉव वालों से कोई बातचीत नही हुई थी क्योंकि मैं रो रहा था और अपने भाई की मृत्यु से दुखी था तो गॉव जवांर वालो के बताने के अनुसार मुल्जिमान का नाम रिपोर्ट में लिखवा दिया था। मैने अपने भाई मृतक विजय सोनी को लिखते पढ़ते नही देखा है। मेरा मुख्य परीक्षा का बयान पूर्व में हो चुका है मुल्जिमान का नाम मुख्य परीक्षा में गॉव वालों के बताने के मुताबिक बताया था। मेरा मानसिक संतुलन व अच्छा बुरा समझने की क्षमता आज भी ठीक है और दौरान मुख्य परीक्षा दिनांक 06.12.2022 को भी मेरा मानसिक संतुलन ठीक था मैने आज तथा मुख्य परीक्षा वाले दिन भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेकर न्यायालय के समक्ष अपना बयान दिया था। मैने स्वयं फौती सूचना की तहरीर थाने पर देकर फौती रिपोर्ट लिखवाई थी। यह कहना गलत है कि लोगो द्वारा मुल्जिमान का नाम बताने वाली बात मैं सिखाने पढ़ाने से झूठी बता रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने प्रभावित करके दौरान जिरह मेरा बयान दिलाया हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को बचाने के लिए मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान तथा अभियोजन कथानक के विपरीत झूठी साक्ष्य दे रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने पूर्व रंजिश को लेकर मेरे भाई की हत्या की हो।

11– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 श्रीमती लक्ष्मी देवी सोनी ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना हुए लगभग 6 वर्ष हो रहा है घटना का समय सुबह 8 बजे का था मैं किसी भी मुल्जिम को नही जानती हूॅ। मेरी जानकारी मुल्जिमान से मेरे पति का कोई विवाद नही था। मेरे पति फांसी लगाकर मरे थे। पत्रावली में शामिल फर्द बावत कब्जा में लेने सुसाइड नोट व

डायरी कागज सं 5/13 देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर को गवाह ने तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इस घटना के सम्बंध में दरोगा जी ने मुझसे कोई पूंछतॉछ नही किया था। साक्ष्य देने के लिए पुलिस वालो ने मुझे जुबानी सूचित किया था। मेरी मुल्जिमान के बीच सुलह हो गई है।इस स्तर पर अभियोजन के आग्रह पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी गई।

12– प्रतिपरीक्षा–द्वारा अभियोजन में साक्षी ने कथन किया कि मुझे इस बात की जानकारी नही है कि मेरे पति मृतक विजय कुमार सोनी के विरूद्ध दिनांक 22.08.2017 को हरिजन एक्ट का मुकदमा मुल्जिमान ने दर्ज कराया था या नही। मुझे यह भी जानकारी नही है कि दिनांक 16.09. 2017 को मेरे पति गोण्डा कचेहरी में उमेश दूबे के खिलाफ गवाही देने गये थे या नही। मुझे यह भी नही पता कि मुल्जिमान ने उनसे कचेहरी में मारपीट किया था या नही। मुझे यह भी जानकारी नही है कि मुल्जिमान उमेश दूबे, अन्नू दूबे, संदीप दूबे, रोहित दूबे कट्टा दिखाते हुए मेरे पति को जान से मार डालने की धमकी दिया था। मुझे यह भी जानकारी नही है कि मुल्जिमानों ने मुकदमें का खर्च एक लाख रूपया मेरे पति से वसूल करने की बात कही हो। यह कहना गलत है कि मेरे पति के आत्महत्या करने के जिम्मेदार मुल्जिमान हो। यह भी कहना गलत है कि धारा 161 सी0आर0पी0सी0 में अंकित बयान व अभियोजन कथानक के विपरीत मुल्जिमानों को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रही हूँ।

13– प्रतिपरीक्षा द्वारा गचाव पक्ष में साक्षी ने कहा कि जिस दिन की घटना है उस दिन मेरे जेठ संतोष सोनी के यहॉ श्राद्ध था। आज जो मैने बयान दिया है वही मेरा सही बयान है। मैने बिना किसी जोर व दबाव के अपने मन से सही बयान न्यायालय पर दिया है।

14– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 शिव कुमारी ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक जगदम्बा सोनी मेरा लड़का था। घटना हुए लगभग 6 वर्ष हो रहे हैं। घटना सुबह लगभग 8 बजे की है। घटना के वक्त मेरे लडके जगदम्बा सोनी ने मेरे घर के नीचे वाले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था मैं घटना के वक्त घर पर नही थी एक दिन पहले बड़े लड़के संतोष के घर पर थी क्योंकि दूसरे दिन श्राद्ध था। दोनो घर में काफी दूरी है। मुझे घटना वाले दिन घटना की जानकारी 09 बजे दिन में बड़े लड़के के जरिए हुई थी। मैं घटना स्थल पर गई थी अपने लड़के को मृत्यु दशा में लेटाया हुआ देखा था। मैं यह नही जान पाई कि मृतक ने फांसी क्यों और कैसे लगाया। घटना के पहले से मेरी जानकारी मे उमेश व उनके लड़को से मृतक से कोई वाद विवाद था या नही मैं नही बता सकती। इस घटना के सम्बंध में किसी पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान नही लिया था। इस स्तर पर अभियोजन के आग्रह पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी गई।

15– प्रतिपरीक्षा–द्वारा अभियोजन में साक्षी ने कथन किया कि ऐस नही है कि मुल्जिमान द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के परिणाम स्वरूप मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को बचाने के लिए मैं अभियोजन कथानक के विपरीत झूठी साक्ष्य दे रही हूँ। साक्षी को 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा मैने ऐसा कोई साक्ष्य दरोगा जी को नही दिया था, कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नही बता सकता। यह कहना गलत है कि सिखाने पढ़ाने से मैं झूठी साक्ष्य दे रही हूँ।

16– प्रतिपरीक्षा द्वारा गचाव पक्ष में साक्षी ने कहा कि मैंने जो आज न्यायालय के समक्ष जो बयान दिया है वह अपनी मर्जी से दिया है बिना किसी जोर दबाव के दिया है। यह सही है।

17– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 डा0 जय प्रकाश शुक्ला ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि मैं दिनांक 18.09.2017 को बतौर प्रभारी सी0एच0सी0 रूपईडीह खरगूपुर जनपद गोण्डा में तैनात था और उस दिन मैने और डा0 विशाल संयुक्त रूप से मृतक विजय कुमार सोनी उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र दीनानाथ सोनी निवासी पाण्डेयपुरवा पारसराय, थाना इटियाथोक के शव का शव विच्छेदन समय 3.40 पी0एम0 पर प्रारम्भ करके 4.20 पी0एम0 पर समाप्त करके मैने शव विच्छेदन आख्या अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। मृतक के शव को थाना इटियाथोक द्वारा सील मोहर करके आरक्षीगण महेन्द्र प्रसाद व धर्मेन्द्र कुमार की सुपुर्दगी में भेजा गया था। शव की सील मेरे समक्ष खोली गई तथा शव की शिनाख्त व पहचान मृतक के भाई संतोष कुमार ने की

थी। मृतक मध्यम औसत कद काठी का था। **शव का वाह्य परीक्षण**– मृतक की आंखे व मुंह बंद थे मृत्यु पश्चात आने वाली अकड़न चारों लिम्ब में मौजूद थी। मृतक के शव से एक–एक शर्ट बनियान, अण्डरवियर, करधन, गमछा, कलावा मिला था। **मृत्यु पूर्व आई चोटे**–1–गर्दन की बांयी तरफ बाई कान से 6 सेमी0 नीचे 11 सेमी0 X 15 सेमी0 क्षेत्र खरोच का निशान, 2–दाहिने ऑख के बाहरी हिस्से पर 3 सेमी0 दूर 2 X 1 सेमी0 क्षेत्र में खरोंच। **शव का आन्तरिक परीक्षण**–मृतक का मस्तिष्क एवं उसकी झिल्लियॉ कण्ठनली, स्वर ग्रंथी, ग्रीवा के आन्तरिक ऊतक स्वांस नली प्लूरा, फेफडे, यकृत, पिताशय सहित प्लीहा, गुर्दे कान्जेस्टेड थे। हाइडबोन के बाये Cornua टूटा हुआ था। हृदय का दाहिना चेम्बर, भरा हुआ बांया खाली था। वजन 250ग्राम था जहॉ टूटा हुआ Cornua पाया गया था वहॉ जमा हुआ खून भी मौजूद था। अमाशय में 100 ग्राम अधपका भोज्य पदार्थ, छोटी आंत में लुग्दी एवं गैस, बड़ी आंत में मल एवं गैस मिला था। मृतक की मृत्यु शव विच्छेदन करने के समय से लगभग आधा दिन पूर्व हुई थी तथा मृतक की मृत्यु मृत पूर्व Strangulation के फलस्वरूप दम घुटने से हुई थी। मेरे द्वारा तैयार की गई शव विच्छेदन आख्या कागज सं0 5/33, 5/34, से सहमत होते हुए डा0 विशाल ने भी अपने हस्ताक्षर बनाए थे। शव विच्छेदन आख्या को मैं अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। गले को बलपूर्वक दबाने से Strangulation होना संम्भव है।

18– **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया कि जो गला जो दबाया जाता है उसको Nanual Strangulation कहते हैं। मैं यह नही बता सकता हूँ कि जो गला दबाने वाली बात बताई गई है वह एक हाथ से दबायी गयी या दो हाथ से। गला दबाने से उंगली व अंगूठे के निशान गले में आना संम्भव है परन्तु ये निशान मुझे नही मिले थे। गले के नीचे पहले Subcutaneous tissues मांस पेशियां तत्पश्चात फर्सिया झिल्ली तथा उसके बाद Hyoid Bone आता है। जो कनुवा का फ्रेक्चर मिला था। वो गले पर ज्यादा दबाव डालने पर ही संभव है। प्रदर्श क–4 में Subcutaneous tissues मांस पेशियां, झिल्ली के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख इसमें नही है। Hyoid Bone के दोनो तरफ Later कनुवा और Lessar Canou होता है। प्रदर्श क–4 में मैने ये नही लिखा कि Lessar Canou व Greater Canou का फ्रेक्चर था। जो 12 घण्टे मैने बताये हैं उसमें 4 से 6 घण्टे का दोनो तरफ अन्तर हो सकता है। विवेचना अधिकारी ने मेरा बयान इस मामले में दो बार लिया था। मैने विवेचना अधिकारी को ये बयान दिया था कि किताबों में अंकित के अनुसार 10प्रतिशत आत्महत्या के भी लक्षण पाये जाते हैं जो इस मामले में सारे साक्ष्यों के अनुसार आत्महत्या के लक्षण भी मिल सकते हैं। मैने अपने कथन की पुष्टि में विवेचक को मेडिकल ज्यूरिस प्रोडेन्स के किताब की छायाप्रति दी थी जो पत्रावली में दाखिल है।

19– **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 एस0आई0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 18.09.2017 को बतौर उपनिरीक्षक थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा में तैनात था और उस दिन मृतक विजय कुमार सोनी की मृत्यु होने सम्बंधी फौती तहरीर मृतक के भाई संतोष कुमार सोनी ने दिया था जिसका इन्द्राज रपट नम्बर 15 पर समय 9.25 बजे थाना में हुआ था। उपरोक्त इन्द्राज के उपरान्त मैं तथा आरक्षीगण महेन्द्र प्रसाद व धर्मेन्द्र कुमार के साथ जिल्द पंचायतनामा व अन्य कागजात लेकर घटना स्थल पाण्डेय पुरवा मौजा पारासराय गया था। मौके पर मौजूद लोगों में से पंचान नियुक्त करके मृतक के घर के सामने फर्श पर रखे मृतक के शव को उलट पलट कर देखकर मैने मौके पर ही पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज सं0 5/14, 5/15 लिखकर तैयार किया था तथा पंचायतनामा पढ़कर सुनाने के बाद हम पुलिस वालो ने तथा पंचान ने अपने–अपने हस्ताक्षर पंचायतनामा पर बनाए थे। पत्रावली में शामिल पंचायतनामा तथा पंचायतनामा के समय तैयार किए गए अन्य पुलिस प्रपत्र जैसे चालान लाश कागज सं0 5/17, फोटो नाश 5/18, चिट्ठी सी0एम0ओ0 5/19, चिट्ठी आर0आई0 5/20, को मैं अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की तस्दीक करता हूँ जिसमें से पंचायतनामा पर पूर्व से प्रदर्श पड़ा हुआ है, अन्य प्रपत्रों जैसे चालान लाश, फोटो नाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0, चिट्ठी आर0आई0 पर क्रमशः प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8 डाला गया।

20– **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया कि मैं पंचायतनामा हेतु विजय कुमार सोनी की मृत्यु पर संतोष कुमार सोनी की फौती सूचना पर पंचायतनामा भरने गया था। पंचायतनामा के समय

पंचान ने किसी भी व्यक्ति पर कोई शक जाहिर नही किया था, न किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई बात बताई थी। यह कहना गलत है कि पंचायतनामा के बाद में सुविधानुसार लिख पढ़ के तैयार किया गया है।

21– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 कॉ0 दिलीप कुमार सिंह** ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया कि मैं दिनांक 18.09.2017 को बतौर कॉ0 मोहर्रिर थाना इटियाथोक गोण्डा में तैनात था और उस दिन वादी मुकदमा संतोष कुमार सोनी द्वारा दी गई तहरीर शामिल पत्रावली प्रदर्श क–1 के आधार पर कायमी मुकदमा की जी0डी0 रपट नं0 21 तथा इसी क्रम में मु0अ0सं0 360 / 2017 अन्तर्गत धारा 506, 306 भा0दं0सं0 बनाम उमेश दूबे आदि की चिक एफ0आई0आर0, सी0सी0टी0एन0एस0 प्रणाली पर टाइप करके प्रतियॉ निकाली थीं, पत्रावली में संलग्न चिक एफ0आई0आर0 कागज सं0 4 / 1, 4 / 2 तथा कायमी जी0डी0 कागज सं0 5 / 8 को देखकर साक्षी ने कहा कि इन प्रतियों को मैने कम्प्यूटर पर टाइप करके प्रतियॉ निकाली थीं जिसको मैं तस्दीक करता हूँ। चिक एफ0आई0आर0 व उसकी कायमी जी0डी0 पर क्रमशः प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10 डाला गया। दिनांक 18.09.2017को ही मैने संतोष कुमार सोनी द्वारा दी गई फौती सूचना के आधार पर जी0डी0 नं0 15 समय 9.25 बजे सी0सी0टी0एन0एस0 प्रणाली पर टाइप करके प्रति निकाला था। पत्रावली में संलग्न जी0डी0 कागज सं0 5 / 16 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह प्रति भी मैने टाइप करके कम्प्यूटर से निकाला था जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।

22– **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया कि दिनांक 18.09.2017 को 9.25 बजे संतोष कुमार सोनी द्वारा एक फौती सूचना इस बात की दाखिल की थी कि मेरे भाई विजय कुमार सोनी ने आत्महत्या कर लिया। यह सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पहले मिली थी।

23– **अभियोजन साक्षी विवेचक पी०डब्लू०–7 निरीक्षक रमाशंकर यादव** ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया कि मैं दिनांक 18.09.2017 को बतौर एस0एस0आई0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा में तैनात था। उस दिन मुकदमा अ0सं0 360 / 2017 धारा 506, 306 भा0दं0सं0 बनाम उमेश दूबे आदि दर्ज होने के बाद इस मुकदमें की विवेचना ग्रहण की थी और नकल चिक व नकल रपट का अवलोकन कर पर्चा नं0 1 में अंकित किया तथा वादी मुकदमा संतोष कुमार सोनी का बयान लेकर पर्चा नं0 1 में अंकित किया तथा वादी के निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया था। वादी मुकदमा के द्वारा दी गई फौती तहरीर के आधार पर जी0डी0 नम्बर 15 समय 9.25 बजे दिनांक 18.09.2017 को किता की गई थी और उसी सूचना के आधार पर मृतक के शव का पंचायतनामा एस0आई0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा भरकर शव को सील मुहर कर शव को शव विच्छेदन के लिए भेजने के उपरान्त मैं घटना स्थल पर गया था। मृतक के जेब से प्राप्त सुसाइड नोट व मृतक द्वारा लिखी गई डायरी वर्ष 2015 मृतक की पत्नी द्वारा समक्ष गवाहान दी गई सुसाइड नोट व डायरी के कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही सील मुहर किया गया तथा फर्द बावत में कब्जे में लेने सुसाइड नोट व डायरी प्रदर्श क–3 मैने स्वयं लिखकर तैयार किया था पढ़कर सुनाने के बाद जगदम्बा प्रसाद सोनी, लक्ष्मी सोनी व मैने अपने–अपने हस्ताक्षर फर्द पर बनाए थे। फर्द को मैं अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की तस्दीक करता हूँ। सुसाइड नोट व डायरी में लिखी राइटिंग को मृतक की पत्नी व जगदम्बा प्रसाद सोनी ने विजय कुमार सोनी की राइटिंग में होने की तस्दीक की थी। मैंने सुसाइड नोट व फर्द बरामदगी सुसाइड नोट व डायरी का अवलोकन कर पर्चा नं0 1 में अंकित किया में अंकित किया था, वापस आकर थाना पर सी0सी0टी0एन0एस0 कॉ दिलीप कुमार सिंह का बयान लेकर पर्चा नं0 1 में अंकित किया था। दिनांक 19.09.2017 को मृतक विजय कुमार सोनी के पी0एम0 रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर तथा पी0एम0 कराने वाले आरक्षी महेन्द्र प्रसाद व धर्मेन्द्र कुमार का बयान लेकर पर्चा नं0 2 में अंकित किया। दिनांक 23.09.2017 को मैंने मृतक के पंचायतनामा तथा मूल पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन कर पर्चा नं0 3 में अंकित किया था। दिनांक 26.09.2017 को मृतक की पी0एम0 करने वाले डा0 जय प्रकाश शुक्ला का बयान अंकित किया था। डा0 जय प्रकाश शुक्ला ने अपने बयान में बताया था कि मृतक की मृत्यु फांसी लगाने से नही हुई है बल्कि गला दबाने या मारने से हुई है। पी0एम0 रिपोर्ट में भी मृतक की मृत्यु का कारण Atrangulation alue to antimortom Strangulation अंकित था इसलिए मैने डा0 के बयान व पी0एम0 रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण से सम्बंधित धारा 30 506 भा0दं0सं0 से धारा 302 भा0दं0सं0 में तरमीम

किया था। पत्रावली में संलग्न लेमिनेटेड सुसाइड नोट तथा डायरी को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही सुसाइड नोट व डायरी है जिसे मृतक की पत्नी ने मुझे प्राप्त कराया था जिसकी फर्द लिखने के बाद मौके पर ही सील मुहर किया गया था जिसे इस प्रकरण की आगे की विवेचना कर रहे विवेचक ने परीक्षण हेतु भेजा था और परीक्षण एजेंसी द्वारा सील मुहर लिफाफे में वापस भेजा गया था, लिफाफा न्यायालय के समक्ष खोला गया और उसमें रखे सुसाइड नोट व डायरी की गवाह ने तस्दीक की। पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी कागज सं0 5/10 को मैं अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया।

24– प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि दिनांक 18.09.2017 को मुझे इस केस की विवेचना मिली थी, 18.09.2017 को 9.25 बजे संतोष कुमार सोनी द्वारा एक फौती सूचना थाने पर दी गई थी कि मेरे भाई विजय कुमार सोनी उम्र 32 वर्ष ने आत्महत्या कर लिया है इस फौती सूचना में संतोष कुमार सोनी द्वारा किसी पर न कोई शंका जाहिर की गई है न आरोप लगाया गया है। मुझे दिनांक 18.09.2017 को इस मुकदमें की विवेचना मिली थी, मैने विवेचना कब शुरू की थी याद नही है। सुसाइड नोट मुझे निरीक्षण घटनास्थल के समय वादी के परिजन द्वारा दिया गया था क्या समय रहा होगा, मुझे याद नही है। सुसाइड नोट एक फअे कागज के टुकड़े पर है जिस पर दोनो तरफ लिखा है। सुसाइड नोट पर 16.09.2017 तिथि लिखी है, जो स्पष्ट नही है। मैने सुसाइड नोट के राइटिंग का मिलान किसी एक्सपर्ट से नही कराया था। सुसाइड करने का सामान मसलन अंगौछा, रस्सी न मौके पर मिला न मैने कब्जे में लिया था, मुझे मृतक के परिवार वाले ने किस चीज से फांसी लगाई गई, यह बताया नही था। मैने पी0एम0 कर्मा डा0 जय प्रकाश शुक्ला का बयान लिया था, उन्होने अपने बयान में मुझे यह बताया था कि मृतक की मृत्यु फांसी लगाने से नही बल्कि गला दबाने या मारने से हुई है। यह कहना गलत है कि मैने मुकदमें की गहन विवेचना नही की और सरसरी तौर पर विवेचना किया हो।

25– अभियोजन साक्षी विवेचक पी०डब्लू०–8 निरीक्षक राम कृपाल शुक्ल ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 24.06.2018 को मैं थाना इटियाथोक में बतौर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन मु0अ0सं0 360/2017 धारा 302 भा0दं0सं0 की विवेचना पूर्व विवेचक डी0के0 सिंह के स्थानान्तरण पर मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी और उसी दिन पर्चा नं0 25 किता किया गया था जिसमें पूर्व किता पर्चो का अवलोकन किया गया। दिनांक 13.07.2018 को पर्चा नं0 26 किता किया गया जिसमें मृतक विनय कुमार सोनी की पत्नी लक्ष्मी देवी और डा0 सुरेन्द्र त्रिपाठी के मोबाइल नम्बर के प्राप्त सी0डी0आर0 का अवलोकन किया गया जिसमें दोनो नम्बरों में वार्ता होना नही पाया गया। दिनांक 25.07.2018 को पर्चा नं0 27 किता किया गया जिसमें मृतक की मॉ शिव कुमारी, मृतक का भाईजगदम्बा सोनी, श्रीराम रतन तिवारी के बयान अंकित किया गया। दिनांक 07.08.2018 को पर्चा नं0 28 किता किया गया, जिसमें पोस्टमार्टमकर्ता डा0 जय प्रकाश शुक्ला व डा0 विशाल लेखपाल बैकुण्ठनाथ के बयान अंकित किया गया। तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भा0दं0सं0 से 306 भा0दं0सं0 में तरमीम किया गया। दिनांक 14.08.2018 को पर्चा नं0 29 किता किया गया जिसमें स्वतंत्र गवाह पंचायतनामा के गवाह सगीर, डा0 सुरेन्द्र तिवारी एवं अभियुक्त उमेश दूबे, अन्नू दूबे, संदीप दूबे व रोहित दूबे का बयान अंकित किया गया। तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, बयान डाक्टरो तथा बयान साक्षियों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त उमेश दूबे, अन्नू दूबे, संदीप दूबे, रोहित दूबे के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 में आरोप न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली में कागज सं0 5/1 लगायत 5/5 संलग्न है जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

26– प्रतिपरीक्षा–में कथन किया कि डा0 सुरेन्द्र त्रिपाठी इस मुकदमें में पूर्व में बतौर अभियुक्त इनका नाम प्रकाश में आया था इसलिए पूर्व विवेचनक ने सी0डी0आर0 की मांग किया था। सी0डी0आर0 में यह मिला कि डा0 सुरेन्द्र त्रिपाठी और लक्ष्मी देवी पत्नी मृतक के बीच कोई वार्ता नही हुई थी। उपरोक्त सी0डी0आर0 दिनांक 15.09.2017 से 29.09.2017 तक की है यह काल डिटेल डा0 सुरेन्द्र त्रिपाठी की है। यह काल डिटेल अधिकारियों के निर्देश पर कि डा0 सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी व लक्ष्मी देवी के बीच कोई सम्बंध तो नही है इसलिए निकलवायी गयी होगी। मेरे द्वारा पी0एम0 को अवलोकन किया गया था इसमें पी0एम0 में डाक्टर ने मृत्यु का कारण गला दबाना

लिखा। इनके पंचायतनामा में केवल एक चोट जो गले पर है दर्ज है। डाक्टर का बयान लेने के पश्चात मैने घटनास्थल का कोई मुआयना नही किया क्योंकि मामला काफी पुराना हो गया था। हस्तलेख की जॉच मेरे समक्ष आयी थी मेरे द्वारा मृतक के हस्तलेख की कोई अन्य लिखावट न तो प्राप्त की गयी न ही संकलित की गयी जो पूर्व विवेचक द्वारा संकलित किया गया, उतना ही था। मुकदमें में 302 भा0दं0सं0 में 306 भा0दं0सं0 में घटोत्तरी साक्ष्य के आधार पर किया गया था। यह कहना गलत है कि मैने बिना कोई साक्ष्य संकलन किये, मनमानी ढंग से मैने 306 भा0दं0सं0 के तहत आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो। यह भी कहना गलत है कि बिना उचित आधार के मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो। डा0 सुरेन्द्र तिवारी इस मुकदमे में पंचायतनामें के गवाह थे। यही डा0 सुरेन्द्र नाथ तिवारी इस मुकदमें में पूर्व में बतौर अभियुक्त प्रकाश में आये थे।

27– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा–(351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) धारा 313 द0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक के सम्बंध में प्रश्न सं0–1 को गलत बताया। प्रश्न सं0–2 पी0डब्लू0–1 के बयान के सम्बंध में कहा कि गलत बयान दिया है तथा गलत तहरीर दिया है पंचायतनामा गलत भरा गया। प्रश्न सं0–3 पी0डब्लू0–2 के बयान के सम्बंध में कहा कि कुछ नही कहना। प्रश्न सं0–4 पी0डब्लू–3 के बयान के सम्बंध में कहा कि कुछ नही कहना है। प्रश्न सं–5 पी0डब्लू0–4 के बयान के सम्बंध में कहा कि गलत शव विच्छेदन आख्या तैयार हुई। प्रश्न सं0–6 पी0डब्लू0–5 के बयान के सम्बंध में कहा कि पंचायतनामा व अन्य प्रपत्र फर्जी तैयार किये गये। प्रश्न सं0–7 पी0डब्लू0–6 के बयान के सम्बंध में कहा कि गलत प्रपत्र तैयार किये गये। प्रश्न सं0–8 पी0डब्लू0–7 के बयान के सम्बंध में कहा कि गलत विवेचना हुई तथा गलत कागजात तैयार हुए। प्रश्न सं0–9 पी0डब्लू0–8 के बयान के सम्बंध में कहा कि गलत आरोप पत्र प्रेषित हुआ गलत विवचना हुई। प्रश्न सं0 10 के सम्बंध में कहा कि दुश्मनी वश मुकदमा चला। प्रश्न सं0 11 के सम्बंध में सफाई साक्ष्य देना चाहा है। प्रश्न सं0–12 के सम्बंध में अभियुक्त **उमेश चन्द्र दूबे** ने कहा कि–*''मेरी पत्नी मिथिलेश क्षेत्र पंचायत सदस्य थी, ब्लाक प्रमुख के चुनाव में उन्होने विनय द्विवेदी को वोट नही दिया था जिससे विनय द्विवेदी नाराज थे। इस घटना के समय वह भाजपा से विधायक थे उन्ही के दबाव में पुलिस ने वादी को दबाव में लेकर मुझे व मेरे लड़कों कौशलेन्द्र उर्फ अन्नू, संदीप दूबे व रोहित दूबे को मुल्जिम बनाया तथा झूठा मुकदमा चलाया मैं निर्दोष हूँ।''* प्रश्न सं0–12 के सम्बंध में अभियुक्त **कौशलेन्द्र कुमार उर्फ अन्नू दूबे** ने कहा कि–*''मुझे उमेश दूबे का लड़का होने के कारण झूंठा फंसाया गया।''*

प्रश्न सं0–12 के सम्बंध में अभियुक्त **संदीप दूबे** ने कहा कि–*''मुझे उमेश दूबे का लड़का होने के कारण झूंठा फंसाया गया।''* प्रश्न सं0–12 के सम्बंध में अभियुक्त **रोहित कुमार दूबे** ने कहा कि–*''मुझे उमेश दूबे का लड़का होने के कारण झूंठा फंसाया गया।''*

28– बचाव पक्ष की ओर से अपने सफाई साक्ष्य के रूप में सूची दिनांक 23.03.2026 कागज सं0 94ख के माध्यम से 98ख/2 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रमाण पत्र मिथलेश पत्नी उमेश चन्द्र दिनांक 26.10.2008, 98ख/3 से क्षेत्र पंचायत बी0डी0सी0 उमेश पुत्र प्रताप नरायन दिनांक 27.06.2000, 94ख/4 लगायत 6 से सामान्य निर्वाचन–2006 में निर्वाचित क्षेत्र पंचायत प्रमुख आदि की फोटो प्रति सूची दाखिल किया है।

29– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

30– प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 18.09.2017 को समय 8.30 बजे बहद स्थान पाण्डेय पुरवा मौजा पारासराय थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा में वादी मुकदमा संतोष कुमार सोनी के भाई विजय कुमार सोनी को एक लाख रूपये देने व गवाही में बयान हल्फी लगाने की धमकी देते हुए प्रताड़ित किया जिससे उसने परेशान होकर आत्महत्या कर लिया।

<u>अभियोजन की बहस</u>

31– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों को परीक्षित कराया गया है जिनमें से तथ्य के गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के मौखिक/प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306/34 भा0द0सं0 का अपराध सन्देह से साबित किया गया है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये

जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष की बहस

32– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों में तात्विक प्रकृति का विरोधाभास है अभियोजन साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। साक्षीगण आपस में हितबद्ध साक्षी है जिनका साक्ष्य सन्देहास्पद है। अभियुक्त निर्दोष है उनके द्वारा कोई घटना कारित नही की गई है। अभियुक्तगण को चुनावी रंजिश को लेकर मात्र हैरान परेशान करने के उद्देश्य से नामित किया गया है। अभियुक्त की संलिप्तता अभियोजन द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

33– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षियों के रूप में कुल पांच साक्षियों को परीक्षित करया गया है जिसमें वादी मुकदमा **पी0डब्लू0–1** संतोष कुमार सोनी, पी0डब्लू0–2 लक्ष्मी देवी मृतक की पत्नी, पी0डब्लू0–3 शिव कुमार मृतक की मॉ, को तथ्य के साक्षियों के रूप में परीक्षित कराया गया है। मामले में औपचारिक साक्षियों के रूप में पी0डब्लू0 4 डा0 जय प्रकाश शुक्ला पोस्टमार्टमकर्ता क–4 को साबित किया गया। पी0डब्लू0–5 एस0आई सुरेन्द्र बहादुर सिंह पचायतनामाकर्ता द्वारा पंचायतनामा प्रदर्श क–2, चालान लाश प्रदर्श क–5, फोटो नाश प्रदर्श क–6, चिट्टी आर0आई0 प्रदर्श क–7, चिट्ठी आर0आई0 प्रदर्श क–8, को साबित किया गया। पी0डब्लू0–6 कॉ0 दिलीप कुमार सिंह एफ0आई0आर0लेखक ने चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–9, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–10 को साबित किया गया। पी0डब्लू0–7 निरीक्षक रमाशंकर यादव विवेचक द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 को साबित किया गया तथा पी0डब्लू0–8 निरीक्षक राम कृपाल शुक्ल द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–13 को साबिल किया गया।

34– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांक 18.09.2017 को समय 08.30 बजे की बतायी गयी है तथा घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 03 किलोमीटर होना अंकित है फिर भी एफ0आई0आर0 दिनांक 18.09.2017 को समय 11.30 बजे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है तथा संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायसंगत होगा।

35– अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में कोई विलम्ब कारित नही किया गया है क्योंकि दिनांक 18.09.2017 को समय 08.30 बजे की होना अंकित है जबकि उसी दिन तत्काल थाने पर सूचना देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कोई बिलम्ब कारित नही किया गया है।

36– इस बिन्दु पर पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 18.09.2017 को समय 08.30 बजे की बतायी जा रही है जबकि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.09.2017 को को 11.30 बजे अंकित कराया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 3 किलोमीटर अंकित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने के सम्बंध में वादी मुकदमा द्वारा पी0डब्लू0–1 के रूप में साक्ष्य दिया गया कि ''इस घटना की तहरीर मैने थाने पर दी थी उसी में फौती सूचना थाने पर दर्ज हुई थी। पहली तहरीर जो मैने दी थी वह मृतक की मृत्यु से सम्बंधित फौती तहरीर थी। उसी दिन मैने पत्रावली में शामिल तहरीर कागज सं0 4/3 टाइप कराकर उस पर अपना हस्ताक्षर करके जिस पर उमेश दूबे आदि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तहरीर को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। प्रतिपरीक्षा में कहा कि इसकी सूचना मैने अपने हाथ से लिखकर उसी दिन थाने पर दिया था। इस सूचना में मैने किसी का नाम नही लिखाया था क्योंकि मुझे किसी पर शक नही था और न ही किसी मुल्जिमान का कोई दोष था। सामने भाई की मृत्यु से दुखी था तो गॉव जवांर वालों के बताने के अनुसार मुल्जिमान का नाम रिपोर्ट में लिखवा दिया था। इस सम्बंध में पी0डब्लू0–6 कॉ0 दिलीप कुमार सिंह ने साक्ष्य दिया कि वादी मुकदमा वादी मुकदमा संतोष कुमार सोनी द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर कायमी मुकदमा की जी0डी0 रपट नं0 21 तथा इसी क्रम में मु0अ0सं0 360/2017 अन्तर्गत धारा 506, 306 भा0दं0सं0

बनाम उमेश दूबे आदि की चिक एफ0आई0आर0 टाइप किया था, इस साक्षी ने प्रदर्श क—9 एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 प्रदर्श क—10 को साबित किया। इसके अतिरिक्त फौती सूचना प्रदर्श क—11 को भी साबित किया। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि दिनांक 18.09.2017 को समय 9.25 बजे संतोष कुमारसोनी द्वारा एक फौती सूचना इस बात की दाखिल की थी कि उसके भाई विजय कुमार सोनी ने आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में जो विलम्ब हुआ है वह कुछ समय अन्तराल का विलम्ब हुआ है। यद्यपि एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नही किया गया है फिर भी विलम्ब का जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह उचित एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक मामले में स्पष्ट किया कि यदि एफ0आई0आर0 विलम्ब से लिखाने का उचित एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया हो तो उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाया जाना अभियोजन के लिए घातक नही होगा।

37— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क यह भी है कि अभियुक्तगण का नाम फर्जी चुनावी रंजिश के कारण अंकित कराया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मृतक विजय कुमार सोनी को किसी प्रकार से प्रताड़ित नही किया गया है बल्कि मृतक स्वयं अवसाद में रहने के कारण उसने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर लिया। इस बिन्दु पर अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है जिससे अभियोजन मामला संदिग्ध प्रतीत होता है।

38— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। ऐसे में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की है।

39— इस सम्बन्ध में मुख्य बिन्दु यह है कि वादी मुकदमा संतोष सोनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि—घटना दिनांक 16.09.2017 की सुबह 8.30 बजे की है। घटना में मृतक विजय सोनी उसका भाई था। उमेश दूबे से इस घटना से पूर्व जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अन्नू, दीपू, और संदीप जो उमेश के लड़के हैं उनसे भी जमीनी विवाद चल रहा है। घटना से कुछ दिन पूर्व उमेश ने उसके भाई के खिलाफ एस0सी0/एस0टी0 का मुकदमा लिखाया था इस घटना के 4 महीने पहले उमेश चन्द्र दूबे, अन्नू, संदीप व रोहित, विजय सोनी से वाद विवाद किया था जिसकी शिकायत विजय सोनी ने थाने पर की थी पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की थी। उसका व मृतक विजय का घर अलग—अलग है। घटना वाले दिन उसके घर श्राद्ध था वह विजय को निमत्रंण देने उनके घर गया था और विजय सोनी के घर के बाहर बैठा था विजय सोनी की पत्नी विजय को चाय देने गयी थी, तो देखा कि विजय छत से कुण्डे से लटके हुए हैं। उसने भी देखा उसने घर के दरवाजे से उसी समय उमेश दूबे, रोहित, अन्नू और संदीप को बाहर निकलते देखा। इस घटना की तहरीर उसने थाने पर दी थी, उसी में फौती सूचना थाने पर दर्ज हुई थी। पहली तहरीर जो उसने दी थी वह मृतक की मृत्यु से सम्बंधित फौती तहरीर थी। उसी दिन उसने पत्रावली में शामिल तहरीर कागज सं0 4/3 टाइप कराकर उस पर अपना हस्ताक्षर करके जिस पर उमेश दूबे आदि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तहरीर को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिसपर प्रदर्श क—1 डाला गया। मृतक विजय कुमार सोनी के शव का पंचायतनामा दरोगा जी ने उसके सामने किया था तथा शव को सर्वसील मोहर करके शवविच्छेदन के लिए भेज दिया था। पत्रावली में शामिल पंचायतनामा को तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क—2 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया कि वह पांच भाई है बाकी के चार के नाम है जगदम्बा, विजय कुमार, लल्ला, संजय, विजय कुमार ने आत्महत्या करी थी इसकी सूचना उसने अपने हाथ से लिखकर उसी दिन थाने पर दिया था। इस <u>सूचना में उसने किसी का नाम नही लिखाया था क्योंकि उसे किसी पर शक नही था और न ही</u> मुल्जिमान का कोई दोष था। उसके भाई ने मुकदमें के कारण आत्महत्या की थी जो फौती सूचना थाने पर दिया था वह उसके सामने पत्रावली में नही है। हम सभी भाई बांटकर अलग—अलग घर में रहते हैं जिस दिन घटना हुई थी उस दिन उसके यहॉ श्राद्ध था। इसकी देखभाल करने के लिए उसकी मॉ विजय मृतक के घर आ गई थी इस श्राद्ध का निमत्रंण देने वह अपने भाईयों के घर गया था। इसी सिलसिले में वह अपने भाई मृतक विजय सोनी के घर भी गया था जो उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर है। फौती सूचना देने के आने के बाद उसकी गॉव वालों से कोई बातचीत नही हुई थी<u> क्योंकि वह रो रहा था और अपने भाई की मृत्यु से दुखी था तो गॉव</u>

जवांर वालो के बताने के अनुसार मुल्जिमान का नाम रिपोर्ट में लिखवा दिया था। उसने अपने भाई मृतक विजय सोनी को लिखते पढ़ते नही देखा है। उसका मुख्य परीक्षा का बयान पूर्व में हो चुका है मुल्जिमान का नाम मुख्य परीक्षा में गॉव वालों के बताने के मुताबिक बताया था। उसका मानसिक संतुलन व अच्छा बुरा समझने की क्षमता आज भी ठीक है और दौरान मुख्य परीक्षा दिनांक 06.12.2022 को भी उसका मानसिक संतुलन ठीक था उसने आज तथा मुख्य परीक्षा वाले दिन भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेकर न्यायालय के समक्ष अपना बयान दिया था। उसने स्वयं फौती सूचना की तहरीर थाने पर देकर फौती रिपोर्ट लिखवाई थी। **पी0डब्लू0–2 श्रीमती लक्ष्मी देवी सोनी** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना हुए लगभग 6 वर्ष हो रहा है घटना का समय सुबह 8 बजे का था वह किसी भी मुल्जिम को नही जानती है। उसकी जानकारी मुल्जिमान से उसके पति का कोई विवाद नही था। उसके पति फांसी लगाकर मरे थे। पत्रावली में शामिल फर्द बावत कब्जा में लेने सुसाइड नोट व डायरी कागज सं 5/13 देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर को गवाह ने तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इस घटना के सम्बंध में दरोगा जी ने उससे कोई पूंछतॉछ नही किया था। साक्ष्य देने के लिए पुलिस वालो ने उसे जुबानी सूचित किया था। उसकी मुल्जिमान के बीच सुलह हो गई है। इस स्तर पर अभियोजन के आग्रह पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी गई। **प्रतिपरीक्षा**–द्वारा अभियोजन में साक्षी ने कथन किया कि उसे इस बात की जानकारी नही है कि उसके पति मृतक विजय कुमार सोनी के विरूद्ध दिनांक 22.08.2017 को हरिजन एक्ट का मुकदमा मुल्जिमान ने दर्ज कराया था या नही। उसे यह भी जानकारी नही है कि दिनांक 16.09.2017 को उसके पति गोण्डा कचेहरी में उमेश दूबे के खिलाफ गवाही देने गये थे या नही। उसे यह भी नही पता कि मुल्जिमान ने उनसे कचेहरी में मारपीट किया था या नही। मुझे यह भी जानकारी नही है कि मुल्जिमान उमेश दूबे, अन्नू दूबे, संदीप दूबे, रोहित दूबे कट्टा दिखाते हुए उसके पति को जान से मार डालने की धमकी दिया था। उसे यह भी जानकारी नही है कि मुल्जिमानों ने मुकदमें का खर्च एक लाख रूपया उसके पति से वसूल करने की बात कही हो। **प्रतिपरीक्षा** द्वारा गचाव पक्ष में साक्षी ने कहा कि जिस दिन की घटना है उस दिन उसके जेठ संतोष सोनी के यहॉ श्राद्ध था। आज जो उसने बयान दिया है वही उसका सही बयान है। उसने बिना किसी जोर व दबाव के अपने मन से सही बयान न्यायालय पर दिया है। **पी0डब्लू0–3 शिव कुमारी** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक जगदम्बा सोनी उसका लड़का था। घटना हुए लगभग 6 वर्ष हो रहे हैं। घटना सुबह लगभग 8 बजे की है। घटना के वक्त उसके लडके जगदम्बा सोनी ने उसके घर के नीचे वाले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था वह घटना के वक्त घर पर नही थी एक दिन पहले बड़े लड़के संतोष के घर पर थी क्योंकि दूसरे दिन श्राद्ध था। दोनो घर में काफी दूरी है। उसे घटना वाले दिन घटना की जानकारी 09 बजे दिन में बड़े लड़के के जरिए हुई थी। वह घटना स्थल पर गई थी अपने लडके को मृत्यु दशा में लेटाया हुआ देखा था। वह यह नही जान पाई कि मृतक ने फांसी क्यों और कैसे लगाया। घटना के पहले से उसकी जानकारी मे उमेश व उनके लड़को से मृतक से कोई वाद विवाद था या नही वह नही बता सकती। इस घटना के सम्बंध में किसी पुलिस अधिकारी ने उसका बयान नही लिया था। इस स्तर पर अभियोजन के आग्रह पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी गई। **प्रतिपरीक्षा**–द्वारा अभियोजन में साक्षी ने कथन किया कि ऐसा नही है कि मुल्जिमान द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के परिणाम स्वरूप मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की हो। **प्रतिपरीक्षा** द्वारा गचाव पक्ष में साक्षी ने कहा कि उसने जो आज न्यायालय के समक्ष जो बयान दिया है वह अपनी मर्जी से दिया है बिना किसी जोर दबाव के दिया है। यह सही है।

40– इस प्रकार अभियोजन गवाहों के बयान से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन के किसी भी साक्षी ने मृतक विजय कुमार सोनी को प्रताड़ित करते हुए न तो देखा गया है न ही सुना गया है। इस सम्बंध में मृतक की पत्नी पी0डब्लू0–2 श्रीमती लक्ष्मी देवी सोनी ने अपने मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट कहा है कि वह किसी मुल्जिम को नही जानती है उसकी जानकारी में मुल्जिमान से उसके पति का कोई विवाद नही था। उसके पति फांसी लगाकर मरे थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मामले में अभियुक्तगण द्वारा मृतक को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किये जाने के सम्बंध में कोई साक्ष्य नही दिया है बल्कि मृतक द्वारा स्वय आत्महत्या कर लिए जाने का साक्ष्य दिया है।

41– इसके अतिरिक्त मामले में मृतक विजय कुमार सोनी की मृत्यु के उपरान्त सुसाइड नोट व डायरी जिसे पुलिस द्वारा कब्जे में लिया जाना कहा है। जिस सम्बंध में पी0डब्लू0–7 रमाशंकर यादव ने विवेचक ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कहा कि मृतक की जेब से प्राप्त सुसाइड नोट व मृतक द्वारा लिखी गई डायरी वर्ष 2015 मृत्यु की पत्नी द्वारा समक्ष गवाहान दी गई सुसाइड नोट व डायरी को कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही सील मुहर किया गया तथा फर्द बावत कब्जे में लेने सुसाइड नोट व डायरी प्रदर्श क–3 उसने स्वयं लिखकर तैयार किया था। पढ़कर सुनाने के बाद जगदम्बा प्रसाद सोनी, लक्ष्मी सोनी व उसने अपने–अपने हस्ताक्षर फर्द पर बनाए थे फर्द को वह अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की तस्दीक करता है। सुसाइड नोट व डायरी में लिखी राइटिंग को मृतक की पत्नी व जगदम्बा प्रसाद सोनी ने विजय कुमार सोनी की राइटिंग में होने की तस्दीक की थी। उसने सुसाइड नोट व फर्द बरामदगी सुसाइड नोट व डायरी का अवलोकन कर पर्चा नं0 1 में अंकित किया था। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि सुसाइड नोट उसे निरीक्षण घटना स्थल के समय वादी क परिजन द्वारा दिया गया था। क्या समय रहा होगा उसे याद नही है। सुसाइड नोट एक कटे कागज के टुकडे पर है जिस पर दोनो तरफ लिखा है सुसाइड नोट पर 16.09.2017 तिथि लिखी है जो स्पष्ट नही है। उसने सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान किसी एक्सपर्ट से नही कराया था। सुसाइड करने का सामान मसलन अंगौछा, रस्सी, न मौके पर मिला न उसने कब्जे में लिया था। उसे मृतक के परिवार वालों ने किस चीज से फांसी लगाई गई, यह बताया नही था। डाक्टर ने उसे अपने बयान में बताया था कि मृतक की मृत्यु फांसी लगाने से नही बल्कि गला दबाने या मारने से हुई है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक विजय कुमार सोनी की मृत्यु आत्महत्या होना उसकी पत्नी पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य से साबित होता है। जहाँ तक सुसाइड नोट की सत्यता का प्रश्न है तो उक्त को साबित करने के लिए विवेचक द्वारा उसे किसी हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा हस्तलेख मिलान हेतु भेजा नही गया न ही कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट ही पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त सुसाइड नोट मृतक विजय कुमार सोनी द्वारा ही लिखा गया है।

42– यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 एस0आई0 सुरेन्द्र बहादुर जिनके द्वारा मृतक का पंचायतनामा किया गया ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में दिनांक 18.09.2017 को बतौर उपनिरीक्षक थाना इटियाथोक में तैनात होना बताया तथा मृतक विजय कुमार सोनी की मृत्यु होने सम्बंधी फौती तहरीर मृतक के भाई संतोष कुमार सोनी ने दिया जिसका इन्द्राज रपट नं0 15 पर समय 9.25 बजे थाना में हुआ था साक्षी ने पंचायतनामा प्रदर्श क–2 को साबित किया तथा अन्य प्रपत्र चालान लाश, फोटो नाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0, चिट्ठी आर0आई0 पर क्रमशः प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 को साबित किया। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि पंचायतनामा के समय पंचान ने किसी भी व्यक्ति पर कोई शक जाहिर नही किया था न किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई बात बताई थी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मृतक के मृत्यु उपरान्त व पंचायतनामा के समय तक किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरित किये जाने का कोई तथ्य प्रकाश में नही आए जिससे पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु पंचान राय दी गई। इस सम्बंध में पी0डब्लू0–4 डा0 जय प्रकाश शुक्ला पोस्टमार्टमकर्ता ने साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया कि उसने व डा0 विशाल द्वारा मृतक विजय कुमार सोनी उम्र 32 वर्ष पुत्र दीनानाथ सोनी निवासी पाण्डेयपुरवा पारसराय थाना इटियाथोक जिला गोण्डा का शव विच्छेदन समय 3.40 पी0एम0 पर प्रारम्भ करके 4.10 पी0एम0 पर समाप्त किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया। प्रतिपरीक्षा में कहा कि जो गला जो दबाया जाता है उसको Nanual Strangulation कहते हैं। वह यह नही बता सकता है कि जो गला दबाने वाली बात बताई गई है वह एक हाथ से दबायी गयी या दो हाथ से। <u>गला दबाने से उंगली व अंगूठे के निशान गले में आना संम्भव है परन्तु ये निशान उसे नही मिले थे।</u> गले के नीचे पहले Subcutaneous tissues मांस पेशियां तत्पश्चात फर्सिया झिल्ली तथा उसके बाद Hyoid Bone आता है। जो कनुवा का फ्रेक्चर मिला था। वो गले पर ज्यादा दबाव डालने पर ही संभव है। प्रदर्श क–4 में Subcutaneous tissues मांस पेशियां, झिल्ली के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख इसमें नही है। Hyoid Bone के दोनो तरफ Later कनुवा और Lessar Canou होता है। प्रदर्श क–4 में उसने ये नही लिखा कि Lessar Canou व Greater Canou का फ्रेक्चर था। जो 12 घण्टे उसने बताये हैं उसमें 4 से 6 घण्टे का दोनो तरफ अन्तर हो सकता है। विवेचना अधिकारी ने उसका बयान इस

मामले में दो बार लिया था। उसने विवेचना अधिकारी को ये बयान दिया था कि किताबों में अंकित के अनुसार 10प्रतिशत आत्महत्या के भी लक्षण पाये जाते हैं जो इस मामले में सारे साक्ष्यों के अनुसार आत्महत्या के लक्षण भी मिल सकते हैं। उसने अपने कथन की पुष्टि में विवेचक को मेडिकल ज्यूरिस प्रोडेन्स के किताब की छायाप्रति दी थी जो पत्रावली में दाखिल है। इस प्रकार प्रकरण में चिकित्सक साक्षी जो पोस्टमार्टम करने के उपरान्त गला दबाने की बात बताई गई है परन्तु गला दबाने से उंगली व अंगूठे के निशान गले में आना संभव है परन्तु पोस्टमार्टम में कोई निशान नही पाया गया है, इससे आत्महत्या किया जाना प्रतीत होता है।

43— इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 संतोष कुमार सोनी, पी0डब्लू0–2 लक्ष्मी देवी व पी0डब्लू0–3 शिव कुमारी के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष उक्त साक्षी मामले की घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही हैं बल्कि किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। मामले में परीक्षित साक्षीगण के बयान में गम्भीर विरोधाभाष उत्पन्न होता है पी0डब्लू0–2 लक्ष्मी देवी जो मृतक की पत्नी है ने सुसाइड नोट का समर्थन नही किया है। बल्कि स्पष्ट कथन किया कि उसकी मुल्जिमान से सुलह हो गयी है। इस स्तर पर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया।

44— पक्षद्रोही साक्षी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जोधराज सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2007 क्रि0 ला0 जनरल 2942 सुप्रीम कोर्ट, राधामोहन सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य ए0 आई0 आर0 2006 सुप्रीम कोर्ट 951, नरायन बनाम मध्य प्रदे राज्य 2004 (48) 672 सुप्रीम कोर्ट, टी0 षंकर प्रसाद बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (2004) 3 एस0 सी0 सी0 753** के मामलों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि उनके बयान से किसी सीमा तक अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है तो ऐसे तथ्य की पुष्टि स्वतन्त्र साक्ष्य से होनें की दशा में अभियुक्त को दोषी माना जा सकता है। लेकिन वर्तमान मामले में साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा संतोष कुमार सोनी व पी0डब्लू0–2 शिव कुमारी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया जिसने अभियुक्तगण के अपराध में शामिल होनें के बारे में किसी भी सीमा तक अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

45— इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण उमेश दूबे आदि ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023/धारा 313 दं0प्र0सं0 के स्तर पर कथन किया कि दुश्मनी वश मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। गवाह रंजिशन गवाही दे रहे हैं। अभियुक्त ने कहा कि *''मेरी पत्नी मिथिलेश क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लाक प्रमुख के चुनाव में उन्होने विनय द्विवेदी को वोट नही दिया था जिससे विनय द्विवेदी नाराज थे। इस घटना के समय वह भाजपा विधायक थे उन्ही के दबाव में पुलिस ने वादी को दबाव में लेकर मुझे व मेरे लड़को कौशलेन्द्र उर्फ अन्नू, संदीप दूबे व रोहित दूबे को मुल्जिम बनाया तथा झूठा मुकदमा चलाया। मैं निर्दोष हूँ।''*

46— इस प्रकरण में दुश्मनी साबित करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। ऐसे में जो भी साक्ष्य अभियोजन की ओर से दिया गया है उसके आधार पर अभियुक्तगण का उपरोक्त मामले में मृतक को उत्पीड़न करने के सम्बंध में नही दिया गया है। जहॉ तक सुसाइड नोट व डायरी का प्रश्न है उक्त प्रपत्र को न्यायालय पर किसी भी साक्षी द्वारा साबित नही किया गया है। सुसाइड नोट व डायरी में लिखी बातें किसके द्वारा लिखी गई हैं इस बिन्दु पर हस्तलेख विशेषज्ञ की राय पत्रावली पर उपलब्ध है परन्तु अभियोजन द्वारा साबित नही कराया गया है। मृतक विजय कुमार सोनी की पत्नी लक्ष्मी जिन्हे पी0डब्लू0–2 के रूप मे परीक्षित कराया गया है ने भी उक्त सुसाइड नोट व डायरी के तथ्य को साबित नही किया है बल्कि उन्हे अभियोजन के विपरीत बाते बतायी जिससे अभियोजन द्वारा उन्हे व पी0डब्लू0–3 शिव कुमारी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

47— अभियोजन पक्ष को आत्महत्या के कथित दुष्प्रेरण के लिए अभियुक्तगण को जवाबदेह ठहराने के लिए इस सक्रिय भागीदारी को साबित करने का भार है। यही स्थिति इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित की गई है, जैसे **एम0 मोहन बनाम राज्य (2011) 3 SCC 626, अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 SCC 707, कमलाकर बनाम कर्नाटक राज्य (2007) SCC OnLine Kar 824A** इसलिए, भा0दं0सं0 की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि के लिए, आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का स्पष्ट

प्रमाण होना चाहिए। आत्महत्या का कारण, विशेष रूप से दुष्प्रेरण के संदर्भ में, मानव व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के जटिल गुणों को शामिल करता है, जिसके लिए न्यायालय को अभियुक्त की भूमिका को उकसाने के कार्य में ठोस और विश्वसनीय प्रमाण पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है, केवल उत्पीड़न के आरोप पर्याप्त नहीं हैं जब तक कि अभियुक्त के कार्य इतने मजबूर करने वाले न हों कि पीड़ित को अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प न दिखे। ऐसे कार्य आत्महत्या के समय से भी निकट होने चाहिए। न्यायालय यह जांच करता है कि क्या अभियुक्त के आचरण, जिसमें पीड़ित के आत्म—सम्मान को भड़काना, आग्रह करना या कलंकित करना शामिल है, ने एक असहनीय स्थिति पैदा की। यदि अभियुक्त के कार्यों का इरादा केवल परेशान करना या गुस्सा व्यक्त करना था, तो वे दुष्प्रेरण या जांच के लिए सीमा को पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक मामले में तथ्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसमें अभियुक्त के इरादे और पीड़ित पर उसके प्रभाव पर विचार किया जाता है। इस न्यायालय ने **उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2019) 17 SCC 301** में यह माना था कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तहत एक अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, विशिष्ट अपराध करने का इरादा या मानसिक स्थिति दोषी ठहराते समय स्पष्ट होनी चाहिए। यह देखा गया था कि— आत्महत्या के कथित दुष्प्रेरण के मामलों में, आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य (कार्यों) का प्रमाण होना चाहिए। यह शायद ही विवादित हो सकता है कि आत्महत्या के कारण का प्रश्न, विशेष रूप से आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के संदर्भ में, मानव व्यवहार और प्रतिक्रियाओं / प्रतिक्रियाओं के बहुआयामी और जटिल गुणों को शामिल करते हुए एक पेंचीदा बना हुआ है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप के मामले में, न्यायालय आत्महत्या करने के लिए उकसाने के कार्य (कार्यों) के ठोस और विश्वसनीय प्रमाण की तलाश करेगा। आत्महत्या के मामले में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक के केवल उत्पीड़न का आरोप तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि अभियुक्त की ओर से ऐसा कार्य न हो जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करे, और ऐसा आपत्तिजनक कार्य घटना के समय के निकट होना चाहिए। क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे द्वारा आत्महत्या करने में दुष्प्रेरण किया है या नहीं, यह केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ही एकत्र किया जा सकता है।

48— यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे द्वारा आत्महत्या करने में दुष्प्रेरण किया है, विचार यह होगा कि क्या अभियुक्त आत्महत्या के कार्य को उकसाने के कार्य का दोषी है जैसा कि ऊपर संदर्भित निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा समझाया और दोहराया गया है, उकसाना का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, भड़काना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अतिसंवेदनशील थे और अभियुक्त का कार्य अन्यथा सामान्य रूप से समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं हो सकता है लेकिन, दूसरी ओर, यदि अभियुक्त अपने कार्यों और अपने आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी स्थिति पैदा करता है जो मृतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न देखने की ओर ले जाता है, तो मामला भा0दं0सं0 की धारा 306 के चार कोनों के भीतर आ सकता है। यदि अभियुक्त पीड़ित के आत्म—सम्मान और आत्म—सम्मान को कलंकित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो अंततः पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में अभियुक्त के हिस्से पर मेन्स रिया का प्रश्न अभियुक्त के वास्तविक कार्यों और कर्मों के संदर्भ में जांचा जाएगा और यदि कार्य और कर्म केवल इस प्रकृति के हैं जहां अभियुक्त का इरादा केवल उत्पीड़न या क्रोध का अचानक प्रदर्शन था, तो एक विशेष मामला आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध से कम हो सकता है। हालांकि, यदि अभियुक्त शब्दों या कर्मों से मृतक को परेशान या नाराज / annoyed करता रहा जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या उत्तेजित नहीं हुआ, तो एक विशेष मामला आत्महत्या के दुष्प्रेरण का हो सकता है। वर्तमान मामले में तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का सावधानीपूर्वक और गहन विचार करने पर और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के सम्बंध में न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, कथित तथ्यों, उत्पीड़न के उदाहरणों और उसकी बाद की फांसी लगाकर मृत्यु के बीच कोई निकट सम्बंध प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तहत आरोप साबित नही होता है।

49– पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से विदित होता है कि वस्तुतः अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए जिस प्रकार की सशक्त साक्ष्य की आवश्यकता थी, वैसी साक्ष्य इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

50– विधि व्यवस्था–**परमजीत सिंह उर्फ पम्मा प्रति उत्तराखण्ड राज्य ए०आई०आर० 2011 सुप्रीम कोर्ट पृष्ट 200** में यह अवधारित किया गया है कि किसी अपराधिक विचारण में सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। अपराध जितना गम्भीर होगा, उतने ही कठोर साक्ष्य की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कदापि सशक्त साक्ष्य नहीं है, अपितु उसमें गम्भीर विरोधाभास है और वह असत्य कथनों से भरा हुआ है।

51– विधि व्यवस्था **सुचन्द पाल बनाम फनीपाल 2004 (48) ए० सी० सी० पृष्ट 48 (सुप्रीम कोर्ट)** के मामले में अवधारित किया गया है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य से दो निष्कर्ष सामने आते हैं, जिनमें से एक अभियुक्त के दोषी होने की ओर और दूसरा उसके निर्दोष होने की ओर संकेत कर रहा हो तो ऐसे निष्कर्ष को स्वीकार किया जाना चाहिए जो अभियुक्त को निर्दोष होने की ओर संकेत कर रहा हो।

52– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण उमेश दूबे उर्फ उमेश चन्द्र दूबे, अन्नू दूबे उर्फ कौशलेन्द्र दूबे, संदीप दूबे उर्फ संदीप कुमार व रोहित दूबे उर्फ रोहित कुमार उपाध्याय के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–306 भा0दं0सं0 को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। तद्नुसार सन्देह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को उक्त आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

53– सत्र परीक्षण संख्या **265/2019,** अपराध संख्या **360/2017**, अन्तर्गत **धारा–306 भा0दं0सं0** थाना–इटियाथोक, जिला–गोण्डा के आरोप में अभियुक्तगण **उमेश दूबे उर्फ उमेश चन्द्र दूबे, अन्नू दूबे उर्फ कौशलेन्द्र दूबे, संदीप दूबे उर्फ संदीप कुमार व रोहित दूबे उर्फ रोहित कुमार** को सन्देह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

54– दौरान विचारण अभियुक्तगण जमानत पर रहे हैं, उन्हें समर्पण की आवश्यकता नहीं है, उनकी तरफ से प्रस्तुत जमानतनामें व बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं। जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

55– अभियुक्तगण द्वारा धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, (धारा 437ए दं०प्र०सं०) के अन्तर्गत मु0– 20,000/– रूपये के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू पूर्व से दाखिल हैं, जो छः माह तक प्रभावी होंगे। अपीलीय न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

56– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 श्रीमती लक्ष्मी देवी के विरुद्व धारा 383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/धारा 344दं0प्र0सं0 के अधीन प्रकीर्ण आपराधिक वाद दर्ज किया जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(नम्रता अग्रवाल)
J.O. Code- U.P.2661
दिनांक 23.03.2026 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1
गोण्डा।

57– आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित व उद्घोषित किया गया।

(नम्रता अग्रवाल)
J.O. Code- U.P.2661
दिनांक 23.03.2026 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1
गोण्डा।